118

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R 599-II/13

प्र.क्रं. / निगरानी / 2013

1. **मनीराम पुत्र लुखरा सौंर** निवासी – ग्राम पलेरा, तहसील – जतारा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (भूमि विक्रेता)

2. **श्रीमती प्रभा देवी** पत्नि प्रेम कुमार साहू, निवासी – पलेरा, तहसील – जतारा, जिला टीकमगढ़ म0प्र (भूमि क्रेता)

आवेदकगण..............

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.01.2013 पारित श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष माननीय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जिस के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मनीराम पुत्र लुखरा सौर निवासी पलेरा ने आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 2098/2 में हिस्सा 1/2 रकवा 2.03 हैक्टर भूमि ग्राम पलेरा खास में स्थित है उपरोक्त भूमि सिंचित नहीं है जिसके कारण उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने से वंचित रहा है। जिससे उसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है उसे पेट में दर्द रहता है। उसे पथरी की बीमारी है। इलाज हेतु पैसें नही है। डॉक्टर ने ऑपरेशन होना बताया है। आवेदक ने माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष अपनी भूमि खसरा क्रमांक 2098/2 में हिंस्सा 1/2 बेचने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। माननीय तहसीलदार महोदय ने जांच प्रतिवेदन जारी कर इस्तिहार जारी किया कि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आवेदक ने उपरोक्त कृषि भूमि के अलावा 1.232 हैक्टर भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 599–दो/2013 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-2-17	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 53/पुर्नविलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 3–1–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मनीराम लुखरा सौर निवासी पलेरा ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया उसके स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 2098/2 में हिस्सा 1/2 रकवा 2.03 हैक्टर भूमि ग्राम पलेरा में स्थित है उपरोक्त भूमि सिचिंत नहीं है जिसके करण उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने में वंचित है। जिससे उसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है उसे पेट में दर्द रहता है। उसे पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 12/अ–21/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2010 के द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि निर्धारित गाईडलाईन के आधार पर विकय करने की अनुमति प्रदान की। उक्त आदेश के पश्चात आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक कमांक 2 के पक्ष में विकय पत्र के माध्यम से भूमि हस्तांतरित की गई। कलेक्टर टीकमगढ ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 3–1–13 से पूर्व में पारित आदेशदिनांक	

18–5–2010 को निरस्त करते हुये अंतरण को शून्वयत घोषित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भूमिस्वामी मनीराम द्वारा विधिवत रूप से अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की निजी भूमि विकय करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से प्राप्त करने के उपरांत आवेदक कमांक 2 प्रभादेवी के पक्ष में संपादित कराया था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा भूमि विकयय करने की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की थी और कलेक्टर ने निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विकय करने की अनुमति दी थी। यह भी तर्क दिया कलेक्टर टीकमगढ द्वारा विकय की अनुमति देने के पश्चात निष्पादित विकय पत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत विकेता द्वारा नहीं की गई थी। कलेक्टर द्वारा संभावनाओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि भूमि का विकय सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर विकय किया गया था इसमें किसी प्रकार का कपटपूर्ण संव्यवहार नहीं है अतएवं स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है।

5/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क में बताया कि कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर पुनर्विलोकन अनुमति लेने के उपरांत विधिवत जांच के पश्चात आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार त्रुटि नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा विधिवत जांचोपरांत भूमि विकय अनुमति प्रदान

करने की अनुशंसा की थी। तत्पश्चात पूर्व कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18–5–2010 के द्वारा वादोक्त भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर विकय करने की अनुमति प्रदान की थी। विकय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी हो चुका है जिसकी खसरा पंचसाला वर्ष 2011–12 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है। आवेदक विकेता की ओर से इस आशय का जुडिशियल स्टाम्प पर उन्हें पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो चुका है भूमि विकय के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बाहर विकय की अनुमति प्रदान करने के पश्चात उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण होने के उपरांत उक्त विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं थी। अतः कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन में लेकर उक्त विकय पत्र को शून्य घोषित कर भूमि शासकीय दर्ज करने में अवैधानिकता की है। अतः कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 53/पुनर्विलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 निरस्त किया जाता है। आवेदक कमांक 2 केता प्रभादेवी के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश दिनांक 30–8–2010 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य